

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

**Rule 78 : Matching of details furnished by the e-Commerce operator with the details furnished by the supplier**

The following details relating to the supplies made through an e-Commerce operator, as declared in **FORM GSTR-8**, shall be matched with the corresponding details declared by the supplier in **FORM GSTR-1**,

- (a) State of place of supply; and
- (b) net taxable value:

**Provided that** where the time limit for furnishing **FORM GSTR-1** under section 37 has been extended, the date of matching of the above mentioned details shall be extended accordingly:

**Provided further** that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by order, extend the date of matching to such date as may be specified therein.

---

**नियम 78 : प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों सहित ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों का सुमेलीकरण**

प्ररूप जीएसटीआर-8 में यथा घोषित ई-वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदायों से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी ब्यौरों के साथ सुमेलित होंगे-

(क) प्रदाय के स्थान का राज्य; और

(ख) शुद्ध कराधेय मूल्य :

परन्तु जहां धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां ऊपर उल्लेखित ब्यौरों के सुमेलीकरण की तारीख तदनुसार बढ़ाई जाएगी।

परन्तु यह और कि आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, आदेश द्वारा सुमेलीकरण की तारीख को उस तारीख तक बढ़ा सकेगा जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाए।